Inspira-Journal of Commerce, Economics & Computer Science (JCECS)
ISSN : 2395-7069 (Impact Factor : 2.0546) Volume 03, No. 01, January - March, 2017, pp. 323-328

राजस्थान में लघु उद्योगों की समस्याएं एवं सम्भावनाएं

जयप्रकाश प्रजापति *

सार

प्रस्तुत शोध पत्र राजस्थान में लघु उद्योगों की समस्याएं एवं सम्भावनाओं के अध्ययन से संबंधित है। जो द्वितीयक समंको पर आधारित है। इस शोध पत्र में उद्योग मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम, उद्यम विकास संस्थान द्वारा प्रकाशित समंको का प्रयोग किया गया। इस शोध पत्र में 2007–08 से 2014–15 तक की समय अवधि को लिया गया है। राजस्थान में योजनावध विकास के खनिज आधारित उद्योगों का विकास हुआ है किन्तु लघु उद्योगों का प्रर्याप्त विकास नही हुआ है। लघु उद्योगों की राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। जहाँ एक ओर यह राज्य के उत्पादन में वृद्धि, रोजगार का स्त्रोत एवं निर्यातों का आधार है। वही राज्य की आय का स्त्रोत भी है। यह शोध पत्र लघु उद्योगों की समस्याएं एवं सम्भावनाओं पर प्रकाश डालता है।

प्रमुख शब्दः लघु उद्योग, एमएसएमई, तकनीकी विकास, औद्योगिक प्रगति।

परिचय

किसी भी राज्य का आर्थिक विकास उस राज्य में हुए कृषि एवं औद्योगिक विकास पर निर्भर करता है। क्योंकि कृषि व उद्योग एक दुसरे के पूरक है। प्रस्तुत शोध पत्र राजस्थान राज्य में लघु उद्योगों से सम्बन्धित है। राजस्थान राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे अधिक बडा राज्य है। राजस्थान को खनिज प्रदार्थो का अजायबघर कहा जाता है। यहा पर कुल 61 किस्म के खनिज प्रदार्थ पाये जाते है। जिन पर आधारित लघु उद्योगों का राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश में लघु उद्योगों के विकास की प्रबल संभावनाओं के बावजूद कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, पूंजी की कमी एवं तकनीकी विकास की कमी जैसी समस्याओं से पीडित होने के कारण लघु उद्योगों की प्रगति संतोषजनक ढंग से नही हो पायी है। इस प्रकार इस शोध पत्र में राजस्थान के लघु उद्योगों से सम्बन्धित समस्याओं की पहचान करने और प्रदेश में लघु उद्योगों की संभावनाओं का पता करने के लिए बनाया गया है।

उद्देश्य

वर्तमान अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है :–

1. लघु उद्योगों के विकास और प्रदर्शन की जांच करना।
2. राजस्थान में लघु उद्योगों की समस्याओं का विश्लेषण करना।
3. राजस्थान में लघु उद्योगों की संभावनाओं का पता लगाने हेतु।

अनुसंधान क्रियाविधि

वर्तमान अध्ययन केवल द्वितीय समंको के आधार पर किया गया है। द्वितीय समंक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, भारत सरकार और मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित सामग्री से एकत्रित किया गया है।

अध्ययन की सीमाएं

1. अध्ययन उपलब्ध द्वितीय समंक की मदद से पुरा किया गया है।
2. अध्ययन एक निश्चित समय को लेकर किया गया है।

संकल्पना और लघु उद्योगो की परिभाषा

वर्ष 1950 से 1960 के बीच लघु उद्योगों को परिभाषित करने के लिए निवेश धनराशि की सीमा के साथ साथ मानव शक्ति के नियोजन को आधार माना जाता था। जबकि 1960 से 2001 के आगामी वर्षो तक लघु उद्योगों को

* शोधार्थी, लेखांकन विभाग, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान।

निवेश सीमा की धनराशि के आधार पर परिभाषित किया जाता रहा है। काफी लम्बे समय से उद्यमियों, लघु उद्योग संघो की मांग के कारण लघु उद्योग की परिभाषा में व्यापक परिवर्तन करते हुये सरकार ने लघु उद्योगों हेतु एक पृथक अधिनियम– ''सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006'' की व्यवस्था की है। जिसमें अन्य बातों के साथ साथ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के संवर्धन, विकास और प्रतिस्पर्धात्मक, आधारभूत सुविधाओं को बढाने के लिए उपाय, ऋण सुविधायें, विपणन सुविधायें तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिये देरी से भुगतान किये जाने सम्बन्धी प्रावधान की व्यवस्था है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अनुसार लघु उद्योगों की परिभाषा के अन्तर्गत इस अधिनियम में लघु उद्योगों लिए 'उद्यम' शब्द का प्रयोग किया गया तथा समस्त उद्यम क्षैत्र को दो वर्गो में विभाजित किया गया है:–

1 **विनिर्माण उद्यम**:–25 लाख रूपये से 5 करोड़ रूपये तक निवेश करने वाली इकाइयों को लघु उद्यम के अन्तर्गत रखा गया है।

2 **सेवा उद्यम**:– सेवा क्षेत्र में कार्यरत इकाइयां जिन्होंने 10 लाख रूपये से 2 करोड. रूपये तक निवेश किया हैं ऐसी इकाइयों को लघु उद्यम की श्रेणी में रखा गया है।

सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अनुसार निवेश की सीमा

उद्यम का प्रकार	निर्माण उद्यम संयंत्र और मशीनरी में निवेश	सेवा उद्यम उपकरणों में निवेश
1. सूक्ष्म	25 लाख रूपये तक	10 लाख रूपये तक
2. लघु	25 लाख रूपये से 5 करोड. रूपये तक	10 लाख रूपये से 2 करोड. रूपये तक
3. मध्यम	5 करोड. रूपये से 10 करोड. रूपये तक	2 करोड. रूपये से 5 करोड. रूपये तक

भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों में प्लांट एवं मशीनरी में निवेश की सीमा बढाने के लिए ''सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास संशोधन विधेयक, 2015, 20 अप्रेल 2015 को लोक सभा में पेश किया गया। इस विधेयक में निवेश की प्रस्तावित सीमा निम्नलिखित प्रकार है–

अ. विनिर्माणी उपक्रम

उपक्रम के प्रकार	एम.एस.एम.ई. अधिनियम 2006	एम.एस.एम.ई. विधेयक 2015
1. सूक्ष्म उपक्रम	25 लाख रूपये तक	50 लाख रूपये तक
2. लघु उपक्रम	25 लाख रूपये से 5 करोड. रूपये तक	50 लाख रूपये से 10 करोड. रूपये तक
3. मध्यम उपक्रम	5 करोड. रूपये से 10 करोड. रूपये तक	10 करोड. रूपये से 30 करोड. रूपये तक

ब. सेवाएं प्रदान करने वाले उपक्रम

उपक्रम के प्रकार	एम.एस.एम.ई. अधिनियम 2006	एम.एस.एम.ई. विधेयक 2015
1. सूक्ष्म उपक्रम	10 लाख रूपये तक	20 लाख रूपये तक
2. लघु उपक्रम	10 लाख रूपये से 2 करोड. रूपये तक	20 लाख रूपये से 5 करोड. रूपये तक
3. मध्यम उपक्रम	2 करोड. रूपये से 5 करोड. रूपये तक	5 करोड. रूपये से 15 करोड. रूपये तक

राजस्थान में लघु उद्योगों की प्रगति

वर्षवार विश्लेषण बताता है, कि वर्ष 2007–2008 में 13,786 लघु उद्योगों की स्थापना की गयी। जिसमें 1,47,925.87 लाख रूपये का पूंजी निवेश किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 83781 व्यक्तियों को रोजगाार प्राप्त हुआ। इसी प्रकार वर्ष 2009–2010 में 14,631 लघु उद्योगों की स्थापना कि गयी, जिसमें 79,712 व्यक्तियों को रोजगार मिला एवं 1,69,653.81 लाख रूपये का पूंजी निवेश किया। जबकि वर्ष 2014–2015 में 18,655 लघु उद्योगों की स्थापना कि गयी एवं 2,51,363.94 लाख रूपये का पूंजी निवेश के साथ 91,831 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया। प्राप्त आंकडे बताते है कि वर्ष 2007–2008 के पश्चात प्रदेश में लघु उद्योगों की स्थापना पर विशेष ध्यान दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप ईकाइयों के स्थापना एवं पूंजी निवेश में वृद्धि जबकि रोजगार में उतार चढाव देखने को मिलता है।

राजस्थान में लघु उद्योगों की प्रगति का विवरण

वर्ष	पंजीकृत लघु उद्योग ईकाइयां	पूंजी निवेश (लाख रूपये में)	सृजित रोजगार
2007–08	13786	147925.87	83781
2008–09	14703	149032.25	81438
2009–10	14631	169653.81	79712
2010–11	14863	196775.73	94307

2011–12	14678	266935.07	98988
2012–13	15363	268928.03	94562
2013–14	17601	277888.69	98791
2014–15	18655	251363.94	91831
योग	124280	1728503.39	723410

स्त्रोतः–Govt of Raj., Office of the Commissioner of Industries, Profile of (MSME) Industries in Rajasthan.

राजस्थान में लघु उद्योगों की स्थिति

वर्ष	भारत में पंजीकृत उद्यमों की संख्या	राजस्थान में पंजीकृत उद्यमों की संख्या	राजस्थान में प्रतिशत
2007–08	172703	13786	7.98
2008–09	193026	14703	7.62
2009–10	213206	14631	6.86
2010–11	238429	14863	6.23
2011–12	282428	14678	5.20
2012–13	322818	15363	4.76
2013–14	362991	17601	4.85
2014–15	425358	18655	4.39

स्त्रोतः The State/UT Commissionerates/Directorates of Ind. & MSME- Development Institutes, O/o DC (Msme) , M/O MSME.

राजस्थान में वर्ष 2007–08 मे 13,786 लघु उद्योगों की स्थापना कि गयी, जो भारत के कुल 1,72,703 लघु उद्योगों का 7ण्98 प्रतिशत था। इस प्रकार वर्ष 2010–11 में राज्य में 14,863 लघु उद्योगों की स्थापना कि गयी जो भारत के कुल लघु उद्योग ईकाइयों का 6ण्23 प्रतिशत था। जबकि वर्ष 2014–15 में भारत के कुल लघु उद्योगों का राजस्थान में 4.39 प्रतिशत के साथ 18,655 लघु ईकाइयों की स्थापना की गयी। इससे पता चलता है कि भारत के सन्दर्भ में वर्षवार राजस्थान में लघु ईकाइयों की प्रतिशत के आधार पर स्थापना में कमी आई है।

लघु उद्योगों की भूमिका या उपयोगिता

प्रायः यह कहा जाता है कि आधुनिक युग केवल बडे उद्योगों का ही युग है और इसमें लघु उद्योगों को कोई स्थान नही दिया जा सकता। किन्तु यदि ध्यानपूर्वक देखा जाये तो यह विचार सर्वथा अनुचित प्रतीत होता है। लघु उद्योगों का नाम अवश्य छोटा है। किन्तु उनकी उपयोगिता किसी भी दशा में कम नही समझी जानी चाहिए। लघु उद्योगों का राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में उतना ही महत्वपूर्ण स्थान होता हैं जितना कि बडे उद्योगों का।

विश्व के प्रायः सभी देशों में कुटीर एवं लघु उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। ब्रिटेन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में जहा बडे उद्योगों का बहुत अधिक विकास हुआ है, कुटीर एवं लघु उद्योगों के महत्व को स्वीकार किया जाता है। जापान जैसे औद्योगीकृत देश में भी हमें बडे उद्योगों एवं कुटीर तथा लघु उद्योगों का सुन्दर समन्वय देखने को मिलता हैं। स्विट्जरलैण्ड की तो अर्थव्यवस्था ही कुटीर एवं लघु उद्योगों पर आधारित है। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था तो श्रम प्रधान अर्थव्यवस्था है। इस लिए भारत में लघु एवं कुटीर उद्योगों का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। भारत में लघु उद्योगों की भूमिका को हम निम्न बिन्दुओं के माध्यम से स्पष्ट कर सकते है।

1. बैकारी एवं अर्द्ध बैकारी में कमी।
2. सहायक धंधे के रूप में उपयोगी।
3. छोटी पूंजी से इनका संचालन।
4. आय के समान वितरण में सहायक।
5. कृषि पर जनसंख्या के भार में कमी।
6. व्यक्तित्व एवं कला का विकास।
7. निर्यात में सहायता।
8. राष्ट्रीय सुरक्षा।
9. प्राविधिक ज्ञान एवं प्रशिक्षिण की सरलता।
10. बडे उद्योगों के सहायक।
11. अतिरिक्त आय का साधन।
12. राष्ट्रीय उत्पादन में सहायक।

13. औद्योगिक संघर्षो से बचाव।

लघु उद्योगों की समस्याएं

राजस्थान में लघु उद्योगाों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पडता है। जिसके परिणामस्वरूप कई इकाइयां बीमार हो जाती है तथा कई इकाइयां बंद हो जाती है। लघु इकाइयों में अस्वस्थता कितनी व्यापक है इसका अंदाज इस बात से हो सकता है कि मार्च 2014 तक राज्य में 27 हजार से अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मझौले औद्योगिक इकाइयां बीमार या रूग्णता की हालत में थी, और इनमें बैंको का 557ण्58 करोड. रूपये बकाया राशि के रूप में फंसा हुआ था। लघु इकाइयो की मुख्य समस्याएं निम्न प्रकार हैः–

1. **वित्त तथा साख की समस्यांः**– लघु औद्योगिक इकाइयों के सामने एक बडी समस्यां पुंजी का अभाव है, इन औद्योगिक इकाइयों का पूंजीगत आधार प्रायः काफी कमजोर होता है क्योंकि इनका संगठन साझेदारी अथवा एकल स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। नीतिगत तौर पर व्यापारिक बैंक, सिडबी, लघु उद्योग वित्त निगम इनको प्राथमिकता के आधार पर ऋण उपलब्ध करवाते है, किन्तु वास्तविक तस्वीर इनके बिल्कुल भिन्न है। सिडबी जो कि लघु औद्योगिक इकाइयों हेतु निर्धारित ऋण सीमा का केवल 5 प्रतिशत ऋण के रूप में इन लघु इकाइयों को प्रदान किया है। लघु औद्योगिक इकाइयों की पूंजी की समस्यां का एक प्रमुख कारण क्रेताओं द्वारा इन इकाइयों के द्वारा उत्पादित माल का समय पर भुगतान नही करना है। कई अध्ययनों के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया है कि केन्द्र सरकार, राज्य सरकारे एवं अनेंक क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम इन इकाइयों से उत्पादित माल क्रय कर लेते है किन्तु इनका भुगतान समय पर नही करते है एवं उसमें अनावश्यक विलम्ब करते है। परिणामस्वरूप पूंजी की समस्या बढ. जाती है तथा ये इकाइयां वित्तीय प्रबंधन के दृष्टि से कमजोर हो जाती है। पूंजी के अभाव में इन इकाइयों का उत्पादन व वितरण तंत्र प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है एवं शनैः शनैः ये इकाइयां वित्त की समस्यां से जूझती हुई रूग्ण इकाइयों के रूप में तब्दील हो जाती है एवं अंत में बंद हो जाती है।

2. **कच्चे माल की उपलब्धताः**– लघु उद्योगों को उत्पादन करने के लिये कच्चे माल की उपलब्धता अधिकांशतः स्थानीय स्त्रोतों द्वारा की जाती है। अतः इन लघु उद्यमों को इन्ही स्थानीय स्त्रोतों पर निर्भर रहना पडता है। स्थानीय व्यापारी इन लघु उद्यमों को इस शर्त पर कच्चे माल उपलब्ध कराते है कि तैयार माल उन्ही को बेचेंगें। अतः ये व्यापारी दोहरा लाभ उठाते है एक तो वे कच्चे माल की अधिक कीमत वसूल करते है और दूसरी ओर निर्मित माल का कम कीमत देते है। पूर्व में लघु उद्योगों के द्वारा छोटी मोटी वस्तुयें उत्पादित की जाती थी अतः कच्चे माल की कोई समस्या नही थी परन्तु आधुनिक लघु उद्योगों ने बडे उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करते हुए नयी नयी वस्तुयें उत्पादित करना शुरू कर दिया है। जिससे कच्चे माल के आयात की आवश्यकता पडती है। कच्चे माल के समय पर आयात न होने से लघु उद्यमों को भारी हानि उठानी पडती है।

3. **मशीनरी तथा उपकरणः**– कई वर्षो से संचालित लघु उद्यमों के यंत्र तथा उपकरण पुराने होने के साथ साथ घिसे पिटे हो जाते है तथा उनकी तकनिकी काफी पुरानी पड जाती है। लघु उद्यमो में ऐसे अनेक उपकरण लगे होते है जो कि प्रचलन के बाहर हो चुके होते है इस कारण इन उद्योगों द्वारा उत्पादित माल की गुणवत्ता जहा निम्न कोटि की होती है वही लागत धनराशि अधिक आ जाती है। लघु उद्योग इकाइयां समय, फैशन रूचियों के अनुसार अपने उत्पाद गुणवत्ता में सुधार नही कर पाती है जिससे बाजार में इनकी मांग में कमी आती है, फलस्वरूप ये इकाइयां बीमार हो जाती है। लघु इकाइयों में प्रौद्योगिकी प्रावैगिकता का अभाव है जिसके कारण वे तेजी से बढ रही प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने में असमर्थ हो जाती है।

4. **अस्वस्थता की समस्याः**– मार्च 2014 तक राज्य में 27 हजार से अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मझौले औद्योगिक इकाइयां बीमार या रूग्णता की हालत में थी, अधिसूचित वाणिज्यिक बैंको की ओर से जारी एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है। दिलचस्प बात यह है कि विगत चार वर्ष के दौरान राज्य में बीमार औद्योगिक इकाइयों की संख्या लगातार बढती जा रही है, यह वैश्विक मंदी के असर के कारण है या अन्य कोई स्थानीय कारण, यह अलग से विश्लेषण का विषय है। लेकिन सूक्ष्म, लघु एवं मझौले औद्योगिक इकाइयों का बीमार होना सच में चिंताजनक है। वर्ष 2011 के दौरान राज्य में 1746 औद्योगिक इकाइया बीमार होनाा बताया गया था। यह संख्या मार्च 2012 तक 5355 तक पहुंच गई, जो मार्च 2013 में 20343 इकाइया इस बीमारी की चपेट में आ गई और मार्च 2014 तक 27791 इकाइयां इस मुकाम पर आ गई। इन इकाइयों में बैंको की ओर से बकाया राशि का आकार भी बढता चला गया जो मार्च 2011 तक केवल 52ण्77 करोड रूपये था, वह मार्च 2014 तक 557ण्58 करोड रूपये हो गया।

5. **विपणन की समस्याः**– लघु उद्योगों की सबसे बडी समस्या उनके विपणन की है, क्योंकि उनके पास ब्रिकी के लिये संगठन का अभाव है। लघु इकाइयों द्वारा मानक वस्तुओं का उत्पादन न करने के कारण वृहत इकाइयों की तुलना में इनका उत्पादन सहज नही बिक पाता है।

6. **उपयुक्त आकडों की अनुपलब्धताः**– लघु व अति लघु उद्योगों के सन्दर्भ में पर्याप्त एवं उपयुक्त आंकडे उपलब्ध नही है। लघु उद्योग के बारे में जानकारी के दो स्त्रोत है– उद्योग निदेशालय तथा अर्थ एवं संख्या विभाग। लघु उद्योगों के संबंध में सम्पूर्ण जानकारी किसी संस्था के पास उपलब्ध नही है। जैसा कि लघु उद्योग विकास बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है। ''लघु उद्योग की तेज प्रगति और अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि इन उत्पादन इकाइयों के लिये नियमित रूप से आंकडे एकत्रित करने व उनका संशोधन करने की स्थायी व्यवस्था की जाये।'' लघु उद्योग विभिन्न क्षेत्रों मे प्रतिवर्ष नई इकाइयां स्थापित करते है और प्रतिवर्ष कई मौजूदा उद्योग या तो अपना विस्तार करते है या फिर विविधिकरण करते है। अतः उचित नीति निर्धारण तभी संभव है, जब इनके लिये नवीनतम जानकारी प्राप्त हो सके।

7. **प्रतिस्पर्धा की समस्यां**– नई औद्योगिक नीति 1991 के पश्चात लघु उद्योग क्षेत्र को और अधिक उदार बनाया गया है। जैसे– औद्योगिक लाइसेंसिंग की समाप्ति, उत्पाद के आरक्षण में कमी, देशी व विदेशी उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन, प्रशुल्कों में कमी, मात्रात्मक प्रतिबन्धों को समाप्त करना इत्यादि से कई लघु उद्योग इकाइयों पर प्रतिकूल प्रभाव पडा है जिससे प्रदेश के अनेक लघु उद्योग इकाइयों के सामने गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है। सबसे गंभीर खतरा चीन से आ रहे सस्ते उत्पादों से है जिसकी कीमत इतनी कम है कि घरेलू लघु उद्योगों के लिये अपना अस्तित्व बचाना मुश्किल हो गया है।

8. **अन्य समस्याएंः**– लघु उद्योगों को उपरोक्त समस्याओं के अतिरिक्त कुछ अन्य समस्यायें भी है। प्रबंधकीय क्षमता अभाव, सस्ती बिजली का उपलब्ध न होना, संगठित बाजार प्रणाली का अभाव, बाजार स्थिति के बारे में अपूर्ण जानकारी इत्यादि। इन उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिये जो विभिन्न एजेन्सियां बनाई गई है, उनमें परस्पर सहयोग व तालमेल का अभाव है। सरकार के सतत् प्रयासो के बावजूद गुणवत्ता तथा श्रेणी में सुधार लाने व एकरूपता बनाये रखने के बारे में जागृति नही लाई जा सकी है।

लघु उद्योगों की सम्भावनाएं

लघु उद्योग कम पूंजी में अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करने की क्षमता रखते है एवं ग्रामीण औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करते है। वैश्वीकरण की प्रकिया से लघु उद्योगों के समक्ष चुनौतियां एवं अवसर दोनो ही आये है। इसका मुकाबला करने के लिये सरकार, उद्यमियों तथा लघु उद्योग संगठनों को आपस में तालमेल से काम करना होगा, क्योंकि गेम थ्योरी जैसे सिद्धान्तों में यह स्पष्ट कर दिया गया है। कि बडी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। वर्तमान में लघु उद्योगों को अनेक सुविधायें मिल रही है फिर भी यह सुनिश्चित करना होगा कि लघु उद्योग नवीनतम तकनीक का उपयोग करे तथा गला काट प्रतिस्पर्धा से बचते हुए उच्च स्तर का उत्पादन करे। सरकारी अनारक्षण नीति तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आगमन के फलस्वरूप लघु उद्यमों के सामने प्रतिस्पर्धा की समस्या उत्पन्न हो गई है फिर भी लघु उद्योगों के भविष्य का विवेचन निम्न तर्को के आधार पर किया जा सकता हैः–

1. **कृषि के लिए पूरक व्यवसायः**– राजस्थान का समग्र विकास केवल कृषि से संभव नही है कृषि विकास का लाभ प्रत्यक्ष रूप से खेतिहर मजदूर या भूमिहर श्रमिकों को नही मिल पाता है। यदि अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल भी जाता है तो वह नगण्य है। अतः ग्रामीण परिवारो की स्थिति में सुधार के लिये आवश्यक है। कि लघु उद्यमों और सहायक व्यवसाय का विकास किया जाये ताकि कृषि कार्य की बदली हुई परिस्थिति और लोगों की रूचि में सामंजस्य से निरन्तर विकास कार्य को गतिमान रखा जा सके। औद्योगीकरण से गैर कृषि साधनों की मांग में वृद्धि हुई है इसी आधार पर यह कहा जा सकता हैं कि गैर कृषि कार्यो में लग सकने वाले व्यक्तियों या रोजगार अवसरों की सम्भावना भी असीमित है।

2. **उत्पादन का उपयुक्त क्षेत्रः**– ग्रामीण आवश्यकतायें अत्यंत वृहत् एवं विशाल है। जब इन्हे पूरा करने की चेष्टा की जाती है तो ग्रामीणों में एक नई जाग्रति आने की सम्भावना हो जाती है। अतः लोगों की इसमें भागीदारी स्वाभाविक है जहां तक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को बाह्य रूप से लागु करने का प्रश्न है ग्रामीण इसे राजनीति से प्रेरित मान सकते है। इस प्रकिया में ग्रामीणों का ध्यान अनावश्यक तथ्यों की ओर अधिक आकर्षित होता है। जबकि ग्रामीण विकास का मौलिक तथ्य अछूता रह जाता है।

3. **अपेक्षाकृत अधिक रोजगारपरक उद्यमः**– पूर्ण रोजगार की व्यवस्था एक स्वप्न लगने लगा है। बेरोजगारी के आंकडे उपलब्ध करने में योजना आयोग असफल रहा है तथा शहरी एवं ग्रामीण दोनो क्षेत्र में रोजगार की उपलब्धता बहुत स्पष्ट नही है। नियोजन प्रक्रिया द्वारा रोजगार के अवसरों को सृजित करने के सभी प्रयास श्रम बाजार में आने वाले श्रमिकों को रोजगार देने में असफल रहें है। शहरी तथा ग्रामीण दोनो क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए उठाये गये सरकारी कदम प्रभावी साबित नही हो सका है। अतः लघु उद्योग ही इन अतिरिक्त श्रमिकों को नियोजित करने की क्षमता रखता है।

4. **महिला श्रमिको के लिये विशेष उपयोगीः**– प्रौद्योगिकी का पक्ष प्रस्तुत करते समय विभिन्न पेशों में लिंग सहभागिता अनुपात को ध्यान में रखना चाहिये। उदारण के लिये विभिन्न प्रक्रिया जैसे भवन निर्माण, सडक निर्माण तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम में पुरूष श्रमिकों की अपेक्षा महिला श्रमिको का अनुपात अधिक है। यदि प्रौद्योगिकी के प्रयोग के कारण महिलाओं की सहभागिता अनुपात में कमी आती हो तो इससे सामाजिक समस्यायें घटने की बजाय बढेगी इसलिये मशीनों के प्रयोग से महिला रोजगार विपरीत दिशा में प्रभावित न हो इसका ध्यान रखना होगा। अतः स्पष्ट है कि तकनीक का चुनाव केवल श्रम बनाम पूंजी के आधार पर नही होना चाहिये बल्कि महिला श्रमिकों के प्रतिस्थापन प्रभाव को ध्यान में रख कर, इन लघु उद्योगों मे विशेष रूप से महिला श्रमिको की सहभागिता को ओर अधिक बढाया जा सकता है।

भविष्य में राज्य का औद्योगिक विकास करके उद्योगों को रोजगार में अंश बढाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके लिए राज्य मे खनन कार्य व लघु उद्योगों तथा विभिन्न प्रकार के कुटीर उद्योगों का विकास करने की सम्भावनाओं पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। राज्य की खनिज सम्पदा विपुल माना गई है। राज्य में हथकरघा क्षेत्र में विकास की सम्भावनाएं विद्यमान है। राज्य में कई प्रकार की दस्तकारियों को प्रोत्साहन दिया जा सकता है तथा विद्युत, गैस व जलपूर्ति के क्षेत्र में भी अधिक श्रमिकों को काम दिया जा सकता है। ऐसा करने से औद्योगिक रोजगार में वृद्धि होगी, लोगों की आमदनी बढेगी तथा उसके जीवन स्तर में सुधार आयेगा। गलीचों, चमडे की वस्तुओं, हथकरघा की वस्तुओं तथा रत्न आभूषण आदि के निर्यात से अधिक विदेशी मुद्रा भी अर्जित की जा सकती है। इस प्रकार राज्य में औद्योगिक रोजगार का विस्तार किया जाना आवश्यक है। अनेक चुनौतियों के बावजूद भी उपर्युक्त तर्को के आधार पर हम कह सकते है कि लघु उद्योगों का भविष्य अति उज्जवल है। वर्तमान में लघु उद्योग बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप नवीन प्रौद्योगिकी को अपनाकर एवं उत्पाद लागत को कम करके ही बहुराष्ट्रीय कम्पनियां तथा विकासशील देशो के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा में अपने को सक्षम कर सकेगा।

निष्कर्ष

लघु उद्योग रोजगार सृजन और विकास के मामले में राजस्थान की अर्थव्यवस्था में एक महत्तपूर्ण भूमिका निभा सकते है। राजस्थान में विशाल संपदा व योग्यता होने के बावजूद, प्रदेश में लघु उद्योग विभिन्न समस्याओं से पीडित होने से, इन उद्योगों की प्रगति संतोषजनक नही कह सकते। लघु उद्योग क्षैत्र के उद्यमियों को संस्थागत वित्त प्राप्त करने मार्ग में जिन बाधाओं तथा समस्याओं का सामना करना पडता है। वे मुख्यतः बैंको द्वारा गारण्टी या गिरवी पर जोर, बैंको का नियमों से बंधा होना, वित्तिय संस्थाओं का सख्त नजरिया, उंची ब्याज दरें, जटिल कागजी कार्यवाही, व्यावसाय के विकास में सहायक सेवाओं का अभाव एवं वित के अलावा अनेक समस्याऐं है। इन समस्याओं का उचित उपचारात्मक उपाय किया जाना आवश्यक है, जिससे लघु उद्योग राजस्थान के आर्थिक विकास एवं रोजगाार सृजन में योगदान एवं अपनी अहम भूमिका निभा सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. मिश्र एवं पुरी, भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालय पब्लिशिंग हाउस, मुम्बई, 2004।
2. लक्ष्मीनारायण नाथूरामका, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, आर. बी. डी. पब्लिकेशन्स्, जयपुर, 2016।
3. बी. एल. ओझा, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, आदर्श प्रकाशन, जयपुर, 2005–06।
4. रूद्र दत्त, के.पी.एम. सुन्दरम, भारतीय अर्थव्यवस्था, एस. चन्द एण्ड कम्पनी लि., नई दिल्ली, 2003।
5. www.nafanuksan.com
6. अतिरिक्तांक प्रतियोगिता दर्पणः भारतीय अर्थव्यवस्था, 2016।
7- Some Facts About Rajasthan 2015-16.
8. आर्थिक समीक्षा, राजस्थान सरकार 2015–16।
9- www.laghuudyog.com
10- www.msme.com

❑❑❑